संख्या-96/2024/1010/सैंतीस-2-2024/001-1(43)/02

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-28 मई, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-27/प0-1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/1/बजट/2024-25, दिनांक-06.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
02-मजदूरी	25.00
29-अनुरक्षण	40.00
39-औषधि तथा रसायन	10.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	3.00
42-अन्य व्यय	7.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	215.00
योग-	**300.00**

(रूपये तीन करोड़ मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरक्षण कार्य हेतु निर्मित आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
9. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403007891000 (सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)		मात्र)
2	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
6	083	2403007891000 सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,15,00,000 (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

महायोग	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-96/2024/1010(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(43)/02, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास/रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-96/2024/1010/सैंतीस-2-2024/001-1(43)/02, दिनांक-28 मई, 2024 का संलग्नक:-

सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (2024-25)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक मद						योग
		02-मजदूरी	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, सी.डी.एफ. अलीगढ	2.50	5.00	1.00	0.20	0.40	50.00	**59.10**
2	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर-ललितपुर	5.00	9.00	2.00	0.73	1.67	47.00	**65.40**
3	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव, सीतापुर	5.60	4.00	2.00	0.40	1.00	47.00	**60.00**
4	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, आराजी लाइन्स, वाराणसी	4.00	9.00	2.00	0.50	1.36	27.00	**43.86**
5	परियोजना निदेशक, वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ, चन्दौली	2.50	4.00	1.00	0.27	0.65	17.00	**25.42**
6	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र निबलेट, बाराबंकी	5.40	9.00	2.00	0.40	0.92	27.00	**44.72**
7	मु.प.चि.अ., प्रतापगढ़	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	**0.30**
8	मु.प.चि.अ., प्रयागराज	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	**0.30**
9	मु.प.चि.अ., आगरा	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	**0.30**
10	मु.प.चि.अ., कौशाम्बी	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	**0.30**
11	मु.प.चि.अ., रायबरेली	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	**0.30**
योग-		**25.00**	**40.00**	**10.00**	**3.00**	**7.00**	**215.00**	**300.00**

(रूपये तीन करोड़ मात्र)

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।